GCMJ-2024/248

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

समोतार उर्फ रामअवतार बनाम उमेश कुमार वगै०

मुकदमा नम्बर :– 95/2024

अन्तर्गत धारा 212 RT Act

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	29/11/24	वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र T.I. पेश किया। रिपोर्ट हो चुकी है प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली में केवियट प्रा.पत्र लगा हुआ है पत्रावली बाद तलबी केवियटकर्ता व उपस्थिति हेतु आगामी दिनांक 04/12/24 को पेश हो। [signature]	
	04/12/24	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं. 1 व 4 की ओर से पावर व अप्रार्थी सं. 3 की U.T. महेश शर्मा ने दी। अप्रार्थी सं. 2 की U.T. रामदयाल निठारवाल वकील ने दी। अप्रार्थी सं. 5 की ओर से J.P. यादव वकील ने पावर पेश किया। अप्रार्थी सं. 6 व 8 बाद तामील अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रा.पत्र 039 R 7 जपठित धारा 151 CPC को वकील प्रार्थी/अप्रार्थी सं. 5 ने Not press किया। अतः Not press के आधार पर प्रा.पत्र 039 R 7 CPC खारिज किया जाता है। बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने उत्तरवेदन सूची पेश की। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पक्ष में अपूरणीय क्षति, सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया केस साबित होने से उभयपक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि विवादित आ.खा.नं. 1536/2, 1537/2, 1539/2, 1540/2, 1538/2 कुल किता 5 का कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम [illegible] तह० चौमूं के मौके की यथास्थिति बनाये	U.T. अप्रार्थी सं. 2 किशोर की [signature] (रामदयाल निठारवाल एड.)

[signature]

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

बनाम

मुकदमा नम्बर :– /

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		रखे। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 09/12/24 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)
	09/12/24	प.स. उप.। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु आगामी दिनांक 11/12/24 को पेश हो। [signature]
	11/12/24	प.स. उप.। प्रतिवादी अधिवक्ताओं की T.I. प्रा.पत्र का जवाब न देकर सीधी बहस का निवेदन किया। बहस T.I. सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण की मूल वाद तनकीहात व स्थायी निषेधाज्ञा का होकर प्रकरण में पूर्व में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की हुई है अतः आदेश को ता. फैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता न बढ़े। अतः उक्त आदेश दिनांक 05/12/2024 को ता. फैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली मूल वाद फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो। [signature] सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)